गवर्नर जनरल तथा उसके भारतीय मन्त्री। इस प्रकार केन्द्र में भी द्वैध शासन-व्यवस्था की स्थापना का श्रीगणेश हुआ।

1935 ई. के अधिनियम में संघीय विधानमण्डल में दो सदनों की व्यवस्था की गयी थी। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को संघीय सभा का नाम दिया गया। राज्यसभा की सदस्य संख्या 260 निश्चित की गयी। इसमें से 156 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 104 देशी रियासतों से चुने जाते थे। देशी राज्यों के सदस्यों का मनोनयन स्वयं रियासतों के शासकों के द्वारा किया जाता था। मताधिकार सीमित था और आर्थिक प्रतिबन्धों के अंकुश के कारण मतदाताओं की कुल संख्या एक लाख के आसपास थी।

निम्न सदन में संघीय सभा के सदस्यों की संख्या 375 निर्धारित की गयी थी। इसमें भी 250 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 125 सदस्य देशी रियासतों के रखे गये थे। संघीय सभा की कार्यावधि पाँच वर्ष रखी गयी थी, परन्तु अवधि से पहले भी उसका विघटन सम्भव था।

राज्यसभा एक स्थायी संस्था थी परन्तु उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति वर्ष कार्यमुक्त हो जाते थे। केन्द्रीय व्यवस्थापिका भारत के लिये कोई भी कानून बना सकती थी परन्तु वास्तव में इसकी शक्तियाँ सीमित थीं। गवर्नर जनरल इसके परामर्श को ठुकरा सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था और बजट के तीन-चौथाई भाग पर व्यवस्थापिका का कोई नियन्त्रण न था।

प्रान्तीय सरकार (Provincial Government)

गवर्नर प्रान्तीय प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था। उसके कार्य में सहायता एवं सहयोग के लिये एक मन्त्रि-परिषद् होती थी जिसके सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापिका के सदस्यों में से किया जाता था। कानूनी रूप में इसका तात्पर्य यह है कि 1935 ई. के अधिनियम ने अंग्रेजी प्रान्तों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की चूँकि केन्द्रीय सरकार और गृह सरकार से प्रान्तीय सरकार के मामलों में हस्तक्षेप की आशा नहीं की जाती थी, विशेष रूप से उस समय जबकि मन्त्री और गवर्नर एक-दूसरे से जुड़े हुए हों। इस नवीन व्यवस्था को प्रान्तीय स्वशासन की संज्ञा दी गयी, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत प्रान्तीय गवर्नर विस्तृत शक्तियों के स्वामी थे। वे अध्यादेश जारी कर सकते थे और अपनी स्वेच्छा से कार्य करने के लिए स्वतन्त्र थे। आपातकाल में गवर्नर समस्त प्रशासनिक शक्तियाँ अपने हाथ में केन्द्रित कर सकते थे।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका की संरचना पृथक्-पृथक् प्रान्तों में अलग-अलग थी। मद्रास, बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम और बिहार की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक थी—(1) विधान-सभा, और (2) विधान-परिषद्। अन्य प्रान्तों में केवल एक सदन की ही व्यवस्थापिका थी जिसे विधान-परिषद् कहा जाता था। विधान-परिषद् के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता था परन्तु उच्च सदन में कुछ सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था। विधान-सभा और विधान-परिषद् के सदस्यों की संख्या

Scanned by CamScanner